शिक्षित कामकाजी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि (जिला शाजापुर मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

सुनीता बाणकर
शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविधालय, भोपाल (म.प्र.) भारत.

I प्रस्तावना

किसी भी समाज एवं राष्ट्र ही प्रगति में नारी शक्ति का विशेष महत्व है। नारी मानव जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। स्त्री जीवन का स्त्रोत है। नारी शक्ति धन और ज्ञान की प्रतीक नानी गयी है। स्त्रियों को प्रत्येक सामाजिक संगठन का आधार और स्त्रोत माना जाता है। इनकी स्थिति पर ही समाज का संगठन और विघटन निर्भर करता है। जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च और सम्माननीय होती है, उस समाज को प्रगतिशील माना जाता है। यही नहीं स्त्रियॉ समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास में अपूर्व योगदान करतीं हैं। वे मॉ, बहन,पत्नी और साथी के रूप में मानव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखतीं हैं। मॉ के रूप में क्षत्रपति शिवाजी ,पत्नी के रूप में कालिदास और तुलसीदास को ख्याति प्राप्त कराने और शौर्य एवं बलिदान के रूप में राजस्थान की बहनों का नाम अमर है; इसलिए नारी को एक महान शक्ति माना गया है। ये सभ्यता की प्रतीक होती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नारी शिक्षा इनको सुसंस्कृत एवं सुसभ्य बनाने में अनुपम योगदान प्रदान कर सकती है। सुशिक्षित महिला ही बच्चों के समाजीकरण एवं आद शोन्मुखता की आधार होती है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। इसकी उपयोगिता किसी भी समाज,व्यक्ति, राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने में स्वयं सिद्ध है। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास एवं परिवर्तन के आवश्यक उपकरण के रूप में प्राचीनकाल से ही अपनाया जाता रहा है। शिक्षा मानव जीवन का एक सुसंस्कृत एवं महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके द्वारा मानव अपना आर्थिक विकास करता है एवं जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षा के द्वारा ही वह आचार–विचार तथा रहन–सहन में परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है। इसके द्वारा ही संसार की आर्थिक, वैज्ञानिक,सामाजिक,सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रमुख दार्शनिक लॉक का कहना है कि " पौधों का विकास कृषि के द्वारा तथा मनुष्यका विकास शिक्षा के द्वारा होता है। इसी सम्बन्ध में प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री ड्यूबी ने कहा है कि "जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गॉधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर ,मन तथा आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे।

भारतीय संस्कृति के इतिहास के आरम्भ से ही नारी को पूज्य स्थान प्राप्त है। भारतीय नारी अनेक सामाजिक स्तरों, ऐतिहासिक युगों और राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरी है अतः नारी सर्व शक्तिमान मानी गयी है और विद्या, धरा तथा सम्पत्ति की प्रतीक समझी गयी है जिसका प्रमाण प्राचीन इतिहास है। इनके सम्बन्ध में तो यहॉ तक कहा गया है कि – **" यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।"** वर्तमान युग में तो नारी की स्थिति में क्रान्तिकारी सुधार हुआ है।

शिक्षा प्रसार के लिए लडकियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया तथा स्त्रियॉ सार्वजनिक चुनावों में निर्वाचित होकर विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री होने लगी हैं। उन्हें पिता की सम्पत्ति में भाईयों के बराबर अधिकार प्राप्त करने की कानूनी छूट मिली हुई है। पति की क्रूरता हो जाने पर तलाक प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। विधवा को विवाह की पूरी छूट हो गयी है जबकि व्यवहार में इसका चलन कम है। उन्हें सभी अधिकार कानून द्वारा पुरूषों के बराबर प्राप्त हो गये हैं। आज स्त्रियॉ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सभी सेवाओं मे जिम्मेदार पदों पर कार्य करते हुए देखी जा सकती हैं, जैसे – डॉक्टर, इन्जीनियर, वकील, शिक्षिका, लिपिक, प्रशासनिक अधिकारी ,पायलट, वैज्ञानिक, रिसेप्शनिस्ट, नर्स आदि। कामकाजी महिलाओं की सानाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत शोधपत्र की कार्यविधिकी का विश्लेषण करने के पश्चात प्रस्तुत शोधपत्र में गवेषिका ने शिक्षित कामकाजी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास किया है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ही किसी व्यक्ति की प्रस्थिति के निर्धारण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी समाज का सामाजिक स्वरूप व्यक्ति विशेष तक केन्द्रित नहीं होता। सामाजिक उत्थान एवं पतन उस समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह पर निर्भर करता है। प्रत्येक समाज गति शील होता है और उसकी एक विशिष्ट संहिता होती है जिसके आधार पर समाज की संरचना होती है। सामाजिक संरचना वहां की संहिताओं एवं मान्यताओं पर निर्भर होती है। उस सामाजिक संरचना में रहने वाले लोग वहॉ की संहिताओं एवं मान्यताओं से अवश्य प्रभावित होते हैं। नगरीय या ग्रामीण समाज भी इसका अपवाद नहीं हैं।

II अध्ययन के उद्देश्य

(क) उच्च शिक्षित या नौकरी पेशा वाले अभिभावक की लड़कियों या पत्नियों के लिए कामकाजी होना सरल होता है, इसका पता लगाना।

(ख) कार्योजन में जाने का प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ करना होता है। इस तथ्य की पुष्टि के संदर्भ में शिक्षित महिलाओं की आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना।

(ग) भारत में भेद–भाव रहित रोजगार का विस्तार अवश्य हो रहा है, किन्तु प्रवेश–प्रकिया में भेद–भाव आज भी बना हुआ है। भेद–भाव के साथ ही महिलाओं में योग्यता होने के बाद भी उन्हें पुरूषों की तुलना में कम महत्व के पद प्राप्त होते हैं। इस तरह के दृष्टिकोणों के प्रति शिक्षित महिलाओं के विचारों को जानना।

III अध्ययन की प्राक्कल्पना

(क) आधुनिक अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित रोजगारों में स्त्रियों को सीमित और असमान अवसर मिल रहे हैं और उनके साथ असमान व्यवहार होता है।

(ख) कामकाजी महिलाओं के माता–पिता, सास–ससुर एवं संरक्षक यदि शिक्षित हैं तो महिलाओं को कामकाजी होने में सहायता मिलती है, जबकि अशिक्षित संरक्षक नौकरी में रूकावट डालते हैं।

IV कामकाजी शिक्षित महिलाओं के प्रति पति एवं पिता का दृष्टिकोण

शिक्षित महिलाओं के कामकाजी होने में पति एवं पिता के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज इक्कीसवीं सदी के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं। वह पुरूषों के बराबर कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं, किन्तु जहॉ एक ओर स्त्रियॉ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं वहीं पुरूषों द्वारा अनेक क्षेत्रों में दबायी भी जा रही हैं। फिर भी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आज उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और वे इस क्षेत्र में पुरूषों के समान बराबरी पर आना चाहती हैं। लेकिन नारी पुरूष का समान बराबरी का नाता तभी सार्थक हो सकता है।ऐसी ही मान्यताओं को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने जिला शाजापुर कि 300 उत्तरदात्रियों से उनके पतियों एवं पिता का उनके कामकाजी होने के प्रति दृष्टिकोण के बारे में तथ्य संकलित करने का प्रयास किया है।

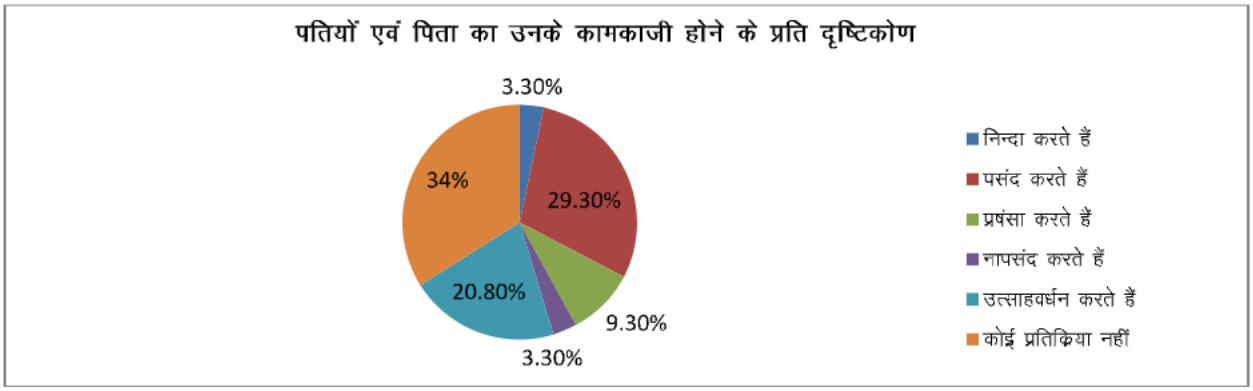

उपरोक्त तथ्यों का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि एक चौथाई से अधिक उत्तरदात्रियों ने अपना मत प्रकट किया कि उनके पतियों एवं पिता वर्तमान कामकाजी होने के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं अर्थात उसे पसंद करते हैं इनकी वास्तविक संख्या 29.30 प्रतिशत पायी गयी, तथा 20.80 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति कार्योजन के प्रति उत्साहवर्धन करते हैं तथा 9.30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं जबकि 3.30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बतलाया कि उनके पति वर्तमान कार्योजन की निन्दा करते हैं इसी प्रकार 3.30 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति वर्तमान कार्योजन को पसन्द नहीं करते हैं। शेष 34.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की इस सन्दर्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं पायी गयी क्योंकि इस कोटि में आने वाली उत्तरदात्रियॉ अविवाहित, परित्यक्त या विधवा पायी गयी हैं।

V उत्तरदात्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति दृष्टिकोण

महिला सशक्तीकरण आन्दोलन को 20वीं सदी के आखिरी दशक का एक महत्पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप नारियों की शैक्षणिक,सामाजिक–सांस्कृतिक, स्वंनिर्णय की क्षमता, स्वास्थ्य,आर्थिक, राजनैतिक और मानसिक स्वरूप में तीव्र परिवर्तन एवं विकास आया है। नारी का स्वयं को व्यक्ति के रूप में देखना आज की 21 वीं सदी की नारी की विशिष्ट प्रधानता को समाज में इंगित करता है। औद्योगिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करके आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो रही हैं। उनके पारिवारिक आधिकारों में वृद्धि हुई है। अब वे पर्दाप्रथा, सजातीय विवाह की अनिवार्यता एवं अनावश्यक लोक लज्जा को निरर्थक समझते हुए घर की चारदीवारी के बाहर खुली हवा में सॉस ले रही हैं। उनके विचारों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन आ रहा है, किन्तु अभी भी भारतीय नारी की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दशा सुधारने की आवश्यकता बनी हुई है

इस सन्दर्भ में जो तथ्य उत्तरदात्रियों से प्राप्त हुए हैं इसमें 300 उत्तरदात्रियों ने अपने उदगार प्रकट किये है जिनकी निम्नलिखित विवेचन प्रस्तुत है –

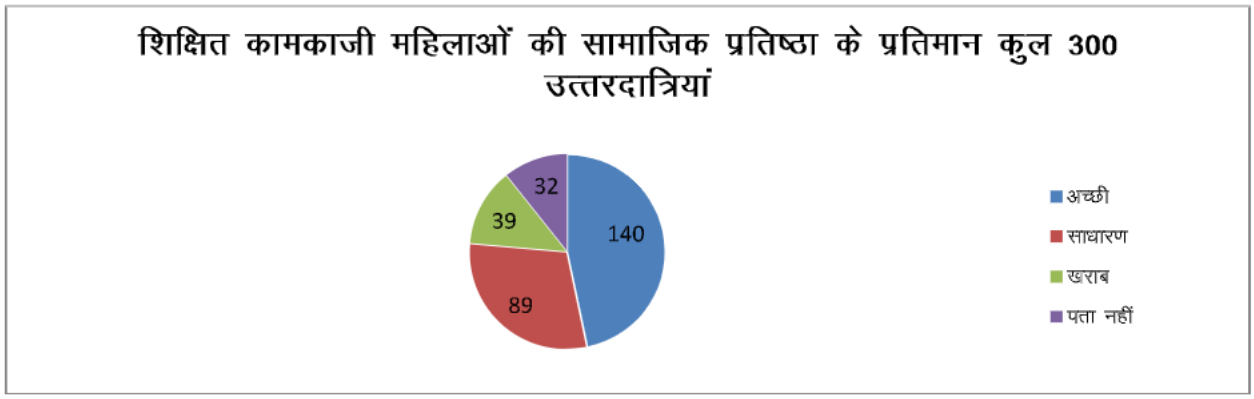

उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि आधे से अधिक उत्तरादात्रियों की समाज में सानाजिक प्रतिष्ठा अच्छी पायी गयी। इनकी वास्तविक संख्या का 46.67 प्रतिशत रही है, जबकि वास्तविक संख्या का 29.66 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा कार्योजन में आने के कारण विशेष परिवर्तित नहीं है अर्थात वे साधारण महिलाओं की भांति समाज में जीवन व्यतीत करती हैं शेष 13.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने उदगार प्रकट किया कि उनकी प्रतिष्ठा कार्योजन में आने पर भी खराब है। जबकि 32 उत्तरादात्रियां अर्थात 10.67 प्रतिशत कि कोई राय नहीं हैं। अतः सार रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकतर कार्योजित महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कार्योजन में आने के कारण अच्छी हुई।

VI निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध उपलब्धियों को सार रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं में समझा जा सकता है –

प्रस्तुत अध्याय में शिक्षित महिलाओं की वर्तमान कार्योजन की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण को देखने का प्रयास किया गया है। वर्तमान परिवर्तित परिवेश में शिक्षित कामकाजी महिलाओं के दृष्टिकोण तमाम संस्थाओं के प्रति परिवर्तित पाये गये है। जहाँ तक कार्योजन के प्रति शिक्षित कामकाजी महिलाओं के पतियों एवं पिता के दृष्टिकोण का प्रशन है तो अधिकांश उत्तरदात्रियों के पतियो एवं पिता का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया है। अधिकतर कामकाजी महिलाओं के पति उनके पारिवारिक कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। उत्तरदात्रियों ने कहा है, कि कार्योजन में आने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हुई है।सर्वाधिक उत्तरदात्रियों के परिवार के मुखिया उनके कार्य करने के प्रति संतुष्ट नजर आये। अधिकांश शिक्षित कामकाजी महिलाओं का उनके पुरूष सहकर्मी के साथ सकारात्मक व्यवहार अर्थात अच्छे सम्बन्ध पाये गये। उत्तरदात्रियों का एक बड़ा समूह कार्योजन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। अधिसंख्यक उत्तरदात्रियों ने स्वीकारोक्ति जाहिर की है कि शिक्षा के कारण महिला जागरूकता में वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार अधिकांश उत्तरदात्रियों ने **"कार्य के प्रति अभिप्रेरणा एवं लगन का अभाव सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है"** कथन का पूर्ण समर्थन किया है। उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अभाव में नारी व्यावसायिक क्षेत्र में असफलता का शिकार है के प्रति अधिकतर उत्तरदात्रियॉ पूर्ण सहमत पायी गयीं। शिक्षित कामकाजी महिलाओं की बृहद संख्या इस बात का पूर्ण समर्थन करती है कि शिक्षा नारी जागरूकता एवं सफलता की कुंजी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] गिरी डी.के., प्यूपील (2002) पार्टिसिस्पेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली,

[2] मेहता, चेतन सिंह, (2008)महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस,पंजाबी बाग, नई दिल्ली

[3] बाटलीवाला, श्रीलता (1994) द मिनिंग ऑफ यूमेन्स इम्पावरमेंट न्यू कान्सेक्टेट नई दिल्ली।

[4] दुबे, एस0 सी0, 2000 भारतीय ग्राम, वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, तृतीय संस्करण,।

[5] मुखर्जी, डी0पी0, (1979) सोसियालॉजी एण्ड इण्डियन कल्चर, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

[6] सरोज परमार 2009 महिलाएँ और मानवाधिकार, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, राजस्थान

[7] बी.एल. फड़िया अन्तर्राष्ट्रीय कानून, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2006

[8] विद्यायनी, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की त्रैमासिक शोध पत्रिका

[9] जिला सांख्यिकी पुस्तिका शाजापुर

[10] वार्षिक प्रतिवेदन (विभिन्न वर्षो के) – मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल

[11] समाचार पत्र – नई दुनिया, इन्दौर,भोपाल,दैनिक भास्कर, इन्दौर भोपाल नव भारत टाईम्स, नई दिल्ली